

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत टी03 से बड़खोलू मोटर मार्ग (4.625 किमी) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति :-
 i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र
 ii) जिला
 iii) जिला वन प्रभाग
 iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
 8. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः
 9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:
 i) वन का प्रकार
 ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व
 iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना
 iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा
 10. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी
 11. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :
 12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :
 i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा :
 ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
 iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
- :- टी03 से बड़खोलू मार्ग
 :- उत्तराखण्ड
 :- पौड़ी गढ़वाल
 :- पौड़ी गढ़वाल
 :- 0.885 है
 :- स्थिति स्थान भूमि
 :-
 :- स्थिति वन भूमि
 :-
 :- प्रायः-१ के अनुसार अन्य रुक्ष प्रभावित होते हैं
 :- श्रीटर भाग
 :- भू-वैद्यनिक की टिप्पणी के अनुसार गलियारे जैसे में भू-भरण की सम्भवता नहीं होती है
 :- 12 Km लंगमठ
 :- अखदार लिंगन काकड़ सुख्य बन्दर, लंगलौ मुकर झाँटे नहीं
 :- नहीं
 :- नहीं

- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी :- **नहीं**
गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बाहर और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसी के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके बाहर
13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका बौरा दें)
14. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :
- (i) क्या भाग- 1 के, पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश की
15. किए गए अतिक्रमण के बाहर :
- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं)
- (ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)
- (iv) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं)
- (v) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण रकीम के बाहर संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।
- (vi) क्षतिपूरक वनरोपण रकीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :
- (vii) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान दिए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/नहीं)।
17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/नहीं)।
18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों
दिनांक : 17/07/2020
स्थान : योगी शब्दावल
- हस्ताक्षर : *[Signature]*
नाम : उप वन संरक्षक
पद्धताल वन प्रभाग, पौड़ी
सरकारी मोहर
- [Handwritten note in blue ink]: अप्राप्त अनुदित के सम्मुखीनी की जाती है।*